"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च 2017— फाल्गुन 12, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3. — यत:, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा-5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उल्लिखित "नियुक्ति के लिए पात्रता" संबंधी प्रावधान में, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, रायपुर, दिनांक 17-01-2012 द्वारा उपांतरण करते हुए, निर्देशित किया गया था कि ईन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही, उक्त अधिसूचना के जारी होने के तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए, संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे;

और यत: उक्त अधिसूचना, 17 जनवरी, 2012 को दो वर्ष की कालावधि के लिए जारी की गई थी और 16 जनवरी, 2014 तक प्रवृत्त थी, उक्त अधिसूचना की अवधि को, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, रायपुर, दिनांक 19 मई, 2014 द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये अर्थात् 17 जनवरी, 2014 से 16 जनवरी, 2015 तक बढ़ाया गया था; एवं उक्त अधिसूचना की अवधि को समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, रायपुर, दिनांक 10 मार्च, 2015 द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 17 जनवरी, 2015 से 16 जनवरी, 2017 तक और बढ़ाया गया था;

और यत: यह आवश्यक हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए बढ़ाई जाये;

अतएव, पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निर्देशित करते हैं कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उक्त अधिसूचना द्वारा किया गया उपांतरण, आगामी अवधि के लिए अर्थात् 17 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2018 तक निरंतर प्रवृत्त रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 25-02-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Naya Raipur, the 25th February 2017

NOTIFICATION

No. F 1-1/2012/1-3. — Whereas, in exercise of the powers conferred by Sub-Para (1) of para 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, modifying the provision regarding "eligibility for appointment" mentioned in rule 5 of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 made by the State Government under Article 309 of the Constitution of India vide Notification No. F 1-1/2012/1-3, Raipur, dated 17-01-2012, directed that notwithstanding anything contained in these rules or any other Act, Order, Direction, Rules or Law for the time being force, only local residents of the districts falling under Baster and Sarguja Division, shall be eligible for recruitment to the vacancies arising in Class-III and Class-IV posts of the district cadre in various departments of the concerned districts, for a period of two years from the date of issue of the said Notification;

And Whereas, the said notification was issued on 17th January, 2012 for a period of two years and was in force till 16th January, 2014; the term of the said notification was extended for a period of one year i. e. from 17th January, 2014 to 16th January, 2015 vide Notification No. F 1-1/2012/1-3, Raipur, Dated 19th May, 2014; and the term of the said notification was further extended for a period of two years i. e. from 17th January, 2015 to 16th January, 2017 vide Notification No. F 1-1/2012/1-3, Raipur, Dated 10th March, 2015;

And Whereas, it has become necessary to extend the term of the said notification for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-para (1) of Para 5 of the Fifth Schedule of the Governor of Chhattisgarh, hereby, directs that the modification made by the said notification in the rule 5 of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 shall remain in force continously for a further period i. e. from 17th January, 2017 to 31st December, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.